



## कार्यालय नगर पालिक निगम मिलाई

का/एफ-169/स्टे.आयु./2021-22/५२३

मिलाई, दिनांक १५/०९/२०२१

//आदेश//

विकास कार्यों, संधारण कार्यों, प्रकाशन एवं अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों की नरितयों में बजट आबंटन सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति उपरान्त करने हेतु श्री जितेन्द्र ठाकुर, लेखाधिकारी, न.पा.नि. मिलाई (सहायक संचालक राज्य बिल सेवा) को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(प्रकाश कुमार सर्वे)  
राप्र से.

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
मिलाई

मिलाई, दिनांक १५/०९/२०२१

पृ. का/एफ-169/स्टे.आयु./2021-22/५२४

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर सह प्रशासक, नगर पालिक निगम मिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर/ उद्यान/ कम्प्युटर/ भवन संधारण, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।
6. श्री जितेन्द्र ठाकुर, लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम मिलाई को निगम के वेबसाइट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख \_\_\_\_\_ नगर पालिक निगम, मिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक रथापना, नगर पालिक निगम मिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
मिलाई